न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–67 / 2018 जी.सी.एम.एस. पॉर्टल नम्बरः– 2018 / 00186

उनवानः–

1. देवी सिंह पुत्र रामचरन
2. यादवसिंह पुत्र रामचरन

जतिगण लोधा निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

––––––––––––––––––––––––वादीगण

बनाम

1. संजय सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति लोधा
2. वीरेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति लोधा
3. रविन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति लोधा
4. बनेश सिंह पुत्र रामचरन जाति लोधा
5. द्वारिका प्रसाद उर्फ लटूरसिंह पुत्र रामचरन जाति लोधा
6. बसन्त पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राम्हण
7. गोकुलसिंह पुत्र बुद्धा जाति लोधा
8. श्रीकृष्ण पुत्र रमेश जाति लोधा
9. नीरज पुत्री रमेशचन्द जाति लोधा
10. बीनेश पुत्री रमेशचन्द जाति लोधा
11. राजकुमारी पुत्री रमेशचन्द जाति लोधा
12. दर्शनसिंह पुत्र रामचरन जाति लोधा

समस्त निवासीगण ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

––––––––––––असल प्रतिवादीगण

13. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई शाखा धौलपुर
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली
15. तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर

–––––––––––––––––––– तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री रामअवतार गौड, एडवोकेट,वादीगण की ओर से

दिनांक 18.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

निर्णय

वादीगण की ओर से आराजी ख.नं. 3177 रकवा 02–04 बीघा, 3221 रकवा 02–08 बीघा वाके ग्राम भगपुरा, ख.नं. 3222 रकवा 01–11 बीघा, वाके ग्राम बिरजापुरा ख.नं. 1265 रकवा 01–19 वीघा, 1359 रकवा 2 बीघा, 1365 रकवा 05 विस्वा, 1280 रकवा 02–03 बीघा, 3205 रकवा 02–05 बीघा, 1277/2 रकवा 09 विस्वा, 1262 रकवा 02विस्वा एंव 1276 रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते बंटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया।

दावा वादीगण दिनांक 09.02.2024 को एकपक्षीय रूप से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने के आदेश दिए गए। आदेशानुसार तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

तहसीलदार मनियां के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/612 दिनांक 01.7.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण ने दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वकील वादीगण को सुनने उपरान्त विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 05, 06 व 12 मौके पर उपस्थित रहे है उनके हस्ताक्षर विभाजन प्रस्तावों पर हो रहे है। परन्तु न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है। उनके विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादीगण ने विभाजन प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नही की है। अतः हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 3177 रकवा 02–04 बीघा, 3221 रकवा 02–08 बीघा वाके ग्राम भगपुरा, ख.नं. 3222 रकवा 01–11 बीघा, वाके ग्राम विरजापुरा ख.नं. 1265 रकवा 01–19 वीघा, 1359 रकवा 2 बीघा, 1365 रकवा 05 विस्वा, 1280 रकवा 02–03 बीघा, 3205 रकवा 02–05 बीघा, 1277/2 रकवा 09 विस्वा, 1262 रकवा 02विस्वा एंव 1276 रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम खेरली तहसील मनियां का खातेदारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

ग्राम खेरली

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)
1.	देवीसिंह पुत्र रामचरन हि. पूर्ण जाति लोधा सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर	1265/1 1359/1	0.0759 0.2819
2.	संजय सिंह, वीरेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, पुत्रान दर्शनसिंह हि.ब.	1359/2	0.2239

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

	जाति लोधा सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर	1365	0.0632
3.	द्वारिका प्रसाद उर्फ लटूरसिंह पुत्र रामचरन हि.पूर्ण. जाति लोधा सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली	1265/2 1265/3 1276	0.0759 0.0759 0.2150
4.	यादवसिंह पुत्र रामचरन हि. पूर्ण जाति लोधा सा.देह खातेदार	3205/1 1265/4 1280/1	0.1023 0.0759 0.2719
5.	बनेश सिंह पुत्र रामचरन हिपूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	1262 1265/5 3666/1277 3205/2	0.0253 0.1896 0.1138 0.1822
6.	बसन्त कुमार पुत्र जगन्नाथ हि पूर्ण जाति ब्राम्हण सा. देह खातेदार	1280/2	0.2718
7.	श्री कृष्ण पुत्र रमेशचन्द हि. 1/8 नीरज पुत्री रमेशचन्द हि. 1/8 राजकुमारी पुत्री रमेशचन्द हि. 1/8 बीनेश पुत्री रमेशचन्द हि. 1/8 जाति लोधा सा.देह खातेदार मीरा शर्मा पत्नि अशोक कुमार हि. 1/2 जाति ब्रा0सा0मोहन कालोनी सेक्टर नं. 2 धौलपुर	3205/3	0.2845

ग्राम भगपुरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)
1.	देवीसिंह पुत्र रामचरन हि. पूर्ण जाति लोधा सा. खेरली खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर	3221/1	0.2427
2.	संजय सिंह, वीरेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, पुत्रान दर्शनसिंह हि.ब. 7/16 दर्शनसिंह पुत्र रामचरन हि. 9/16 जाति लोधा सा. खेरली खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर	3221/2 3177/1	0.1927 0.2192
3.	बनेश सिंह पुत्र रामचरन हिपूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	3221/3	0.0693
4.	रेशमदेई पत्नि ईश्वरीप्रसाद हि. पूर्ण जाति लोधा सा0 खेरली खातेदार	3221/4	0.1023
5.	नाबा0प्रान्जल पुत्र राजकुमार संरक्षक सरपरस्त बाबा खुद अशोककुमार हि. 15/27 जाति ब्रा.सा. मोहन कालोनी सेक्टर नं. 2धौलपुर तह. व जिला धौलपुर बनवारीलाल शर्मा पुत्र कामेश्वरदयाल शर्मा हि. 12/17 जाति ब्रा.सा. खेरली खातेदार	3177/2	0.3372

क्र.सं.	ग्राम विरजापुरा नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)
1.	यादवसिंह पुत्र रामचरन हि. पूर्ण जाति लोधा सा. खेरली खातेदार	3222	0.3920

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)